न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 59/2001 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. रतीराम पुत्र मन्ना राम
2. दीपचन्द्र पुत्र मन्ना राम

जाति यादव निवासीयान ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

:––––– अपीलांटान

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी महाराज उर्फ सालिग राम जी महाराज (अवयस्क) स्थित ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर' द्वारा तथाकथित भक्त सेवक राधेश्याम पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर
2. मिटठन दास तथाकथित चेला रामदास निवासी उलाहेडी तह0 मुण्डावर नाबालिग सरपरस्त राधेश्याम पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:––––– असल रेस्पो0

3. बस्तीराम पुत्र महादेव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4. सावंतराम पुत्र मन्नाराम

5. यादराम पुत्र मन्नाराम जाति यादव निवासीयान ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

6. जग्गाराम पुत्र बदलू जाति गूजर निवासी ग्राम नांगलरानिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:——— तरतीवी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा सहायक कलेक्टर, मुण्डावर

दिनांक 4.7.2001

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील असल रेस्पो0 :— उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक 16.2.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, मुण्डावर द्वारा मुकदमा नम्बर 180/96 उनवान मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी महाराज वगैरा बनाम बस्तीराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 4.7.2001 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने तहत न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर में मूर्ति मंदिर श्री सालिगराम जी महाराज उर्फ सीताराम जी महाराज विराजमान है, जिनकी भोग खर्च की माफी की आराजीयात खसरा नम्बर 527 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा बारानी वाके ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर तथा खसरा नम्बर 80 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम नांगलरानिया तहसील मुण्डावर है, जो इनकी खातेदारी की आराजीयात है । प्रार्थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

संख्या 01 मूर्ति मंदिर श्री सालिगराम उर्फ सीताराम जी महाराज का पुजारी एवं मालिक रामदास चेला हरिदास बैरागी था । रामदास मजकूर ने स्वस्थचित्त से दिनांक 7.8.83 को प्रार्थी संख्या 02 को अपना उत्तराधिकार नियुक्त कर अपने अधिकारी प्रार्थी संख्या 2 के हक में वसीयत करके वसीयतनामा उप पंजीयक तिजारा से दिनांक 11.8.83 को पंजीबद्ध करा दिया । रामदास मजकूर की मृत्यु दिनांक 31.5.91 को हो गई । उसी दिन से रामदास की उपरोक्त विरासत में एवं प्रार्थी संख्या 01 मूर्ति मंदिरन एवं उपरोक्त आराजी आदि सभी कुछ प्रार्थी संख्या 2 में निहित हो गये । अब प्रार्थी संख्या 02 मूर्ति मंदिर ग्राम उलाहेडी का पुजारी व्यवस्थापक है । अप्रार्थीगण का मूर्ति मंदिर या प्रार्थीगण से अथवा आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्सबन्ध नहीं हैं । अप्रार्थी बेजा तौर से मूर्ति मंदिर की उपरोक्त आराजीयात को हडपना चाहते हैं, जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा दीगर लोगों को तहरीर व जबानी मुन्तकिल करने पर आमदा है । अतः निवेदन है कि आराजी में बंदोबस्त वास्ते एवं खुर्द बुर्द होने से बचाने के लिऐ रिसीवर नियुक्त किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अप्रार्थीगण अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । अपीलांटस पर प्रोपर तामील नहीं कराई गई । रामदास चेला हरीदासस बैरागी ने कभी कोई वसीयत रेस्पो0 नम्बर 02 के पक्ष में नहीं लिखी थी । ना ही रेस्पो0 नम्बर 02 राधेश्याम पुत्र रामनिवास किसी का कोई उत्तराधिकारी है । समस्त कार्यवाही फर्जी तरीके से मूर्ति मंदिर की सम्पत्ति को हडपने की नियत से की गई है । विवादित भूमि की वसीयत भी किसी को नहीं की गई है । ना ही वसीयत लिखने का कानूनी अधिकार है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4. रेस्पो0 उपस्थित नहीं ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर गौर किया । जमाबन्दी सम्वत 2047 में खसरा नम्बर 527 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर पर मूर्ति मंदिर श्री सालिगराम जी महाराज रामदास चेला हरीदास बैरागी सासिकन देह पुजारी का अंकन किया हुआ है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 80 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम नांगलरानिया तहसील मुण्डावर पर मंदिर श्री सीताराम जी महाराज के नाम का अंकन किया हुआ है ।

6. उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि मूर्ति मंदिर की आराजी है । मूर्ति मंदिर नाबालिग शाश्वत होती है, जिसके भोग विलास की व्यवस्था पुजारी द्वारा की जाती है । मूर्ति मंदिर की भोग खर्च की व्यवस्था उसकी आराजी द्वारा होती है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी को भी दखलअन्दाजी करने का अधिकार नहीं है । अपीलांट विवादित भूमि पर किस प्रकार अपना हक जता रहा है, उसने स्पष्ट नहीं किया है । दूसरी ओर प्रार्थी असल रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में कथन किया है कि विवादित भूमि को अप्रार्थीगण खुर्दबुर्द करने पर आमदा है तथा स्थगन होने के बावजूद भी मजाहमत, मदाखलत करते हैं । गांव के व्यक्तियों द्वारा भी इस बाबत शपथ पत्र पेश किये गये हैं कि अप्रार्थीगण मंदिर की भूमि पर मजाहमत, मदाखलत करते हैं और कब्जा करने की फिराक में है । जब किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद भी जबरन कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो ऐसी स्थिति में रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायसंगत होता है । अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.7.2001 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner